पुनश्च कोई भी विक्रय पत्र जो 100/– रूपये से अधिक की सम्पत्ति का हो उसका रजिस्टर्ड होना कानूनन जरूरी है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

6. **आया विवादित आराजीयात सहखातेदारी की है तथा बगैर बंटवारा व अलग खातेदारी की घोषणा चाहे बगैर दावा जिन धाराओं मे पेश किया है, वह चलने योग्य नही है, इसलिए दावा खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजीयात का वादी सेपरेट खातेदार दर्ज है जिसमे अन्य किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा दर्ज नही हैं अतः यह तनकी भी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

7. **अनुतोषः–** उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि का सेपरेट खातेदार है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा गैर कानूनी है, अतः वादी धारा 183 व 188 आर0टी0एक्ट के तहत प्रतिवादीगण को विवादित भूमि से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः दावा वादी के पक्ष मे डिक्री किया जाना उचित है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी की भूमि ग्राम बाढ भूदर के खसरा नं0 3/1, 29/1, 110 से बेदखल किया जाकर कब्जा वादी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादी की उक्त खातेदारी की भूमि मे फसल काश्त करने मे किसी प्रकार की दखलंदाजी ना तो स्वयं करे ना ही किसी दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 25.04.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner

धारा 188 आर0टी0एक्ट के तहत चलने योग्य नही है। गांव बाढ भूदर से उसका हर किस्म का सम्बन्ध खत्म हो जाने के कारण हम प्रतिवादीगण केशूलाल, कमल, महेश, मदन से लिए कर्ज को ना दे पाने पर उक्त विवादित जमीनों का बेचान हमारे नाम करने का मुआहिदा लिखि 100/– के स्टॉम्प पर दिनांक 23.10.2010 को किया। धारा 183 आर0टी0एक्ट के तहत भी दावे मे कोई ना तो तथ्य लिखा है ना ही सही हालात लिखे है। विवादित आराजीयात सहखातेदारी की भूमि है, सहखातेदारान को दावे मे पक्षकार नही बनाया गया है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर सात तनकीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी काडू पीडब्ल्यू–1 का शपथ पत्र पेश किया जिसको जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी ने नकल जमाबंदी ग्राम बाढ भूदर सम्वत् 2068–71, प्रथम सूचना रिपोर्ट की नकल, अपराध विवरण फॉर्म की नकल, नकल नक्शा मौका, बयान गवाहान की प्रमाणित प्रति, अन्तिम रिपोर्ट फॉर्म पेश किये है। प्रतिवादीगण ने कोई मौखिक साक्ष्य पेश नही किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे 100/– स्टॉम्प पर लिखी तहरीर की फोटो प्रति एवं लीगल नोटिस की फोटोप्रति पेश की है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार है:–

1. **आया मौजा बाढ भूदर तहसील सपोटरा मे स्थित आराजीयात खसरा नं0 3/1 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं0 29/1 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नं0 110 रकबा 15 बिस्वा वादी की खातेदारी है ?** इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2068–71 व 2072–75 के अनुसार ग्राम बाढ भूदर की विवादित आराजीयात वादी की रिकार्डेड खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
2. **आया वादी अपनी खातेदारी की आराजीयात से प्रतिवादी सं0 1 ता 11 को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है ?** इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2068–71 व 2072–75 के अनुसार वादी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार हैं। उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। वादी की सेपरेट खातेदारी की भमि पर प्रतिवादीगण को कब्जा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। दान/वसीयत/हक त्याग/बेचान/डिक्री आदि कानूनन मान्य दस्तावेजों के आधार पर ही किसी व्यक्ति का किसी भूमि पर कब्जा लेने का अधिकारी होता है। उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके कि उनका विवादित भूमि पर कब्जा कानूनन सही है। वादी द्वारा कानूनन बंटवारे की डिक्री कराकर खाता पृथक कराया है तथा इसी आधार पर विवादित आराजीयात का वादी एक मात्र रिकार्डेड खातेदार दर्ज हुआ है। सेपरेट खातेदार की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध कारण के कब्जा करना कानूनन गलत है। अतः उक्त प्रकरण मे प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा गैर कानूनी है, जिनको राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है। इसलिए यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
3. **आया वादी प्रतिवादी सं0 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है?** इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर है। तनकी सं0 2 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण का कब्जा गैर कानूनी है। अतः वादी प्रतिवादी सं0 1 ता 11 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
4. **आया विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नही होने के कारण दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट चलने योग्य नही है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। वादी ने स्वयं अपने वाद तथ्यों मे यह अंकित किया है कि मेरी खातेदारी की भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, इसी कारण वादी ने वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183, 188 के अन्तर्गत पेश किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नही है। अतः यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।
5. **आया विवादित भूमियां प्रतिवादीगण केशूलाल, कमल, महेश, मदन ने जरिये तहरीर स्टॉम्प रूपये 100/– पर क्रय की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण को है। पत्रावली मे संलग्न स्टॉम्प तहरीर मे पैसे उधार लेने का उल्लेख है, भूमि बेचान करने का कोई विवरण अंकित नही है, पैसे का उधार लेन देन सिविल प्रकरण है।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
18/15	दावा	17.06.2013	25.04.2018

काडू पुत्र कज्जू आयु 62 साल जात बैरवा निवासी बाढ भूदर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–वादीगण

बनाम

1. केशूलाल ।
2. कमल ।
3. महेश । पि0 रामहेत
4. मदन ।
5. बादामी पत्नि केशूलाल
6. गंगासहाय पुत्र केशूलाल
7. गुड्डू पुत्र केशूलाल
8. पीतम पुत्र केशूलाल
9. लच्छो पत्नि मदन
10. गुड्डी पत्नि महेश
11. गीता पत्नि कमल
12. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा।

सभी जातिगण बैरवा निवासी बाढ भूदर तह0 सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री राजाराम मीना एड0 वकील वादी।
श्री नदीम खॉन एड0 वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 3/1 रकबा 14 बिस्वा, ख0नं0 29/1 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 110 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम बाढ भूदर तहसील सपोटरा वादी की खातेदारी की आराजीयात है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादी गरीब व बुजूर्ग व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण चतुर व चालाक किस्म के व्यक्ति है। दिनांक 11.06.2015 को प्रतिवादीगण ने लट्ठ के बल से मुझ वादी की आराजीयात को जोत डाला है, वादी ने मौके पर पहुॅच कर प्रतिवादीगण से हाथ जोड़कर मना किया तो प्रतिवादी सं0 1 ता 11 हाथों मे लाटी गडासी लेकर मारने पीटने पर उतारू हो गये और एलानिया कहने लगे कि यह जमीन को तुझे कभी भी नही जोतने देगें, इस जमीन को हमे देदे नही तो हम लट्ठ के बल से लेकर रहेगें। प्रतिवादीगण राज कानून से निडर व्यक्ति है। वादी का कमाई का एकमात्र जरिया कृषि है, कृषि के अलावा अन्य कोई चारा नही है। इसलिए वादी ने अपनी खातेदारी की भूमि से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाकर वादी को कब्जा दिलाये जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण ने जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वादी ने दावा हाजा कतई गलत हालात बनाकर हम प्रतिवादीगण को तंग परेशान करने की बदनियति से पेश किया है।दो लाख पांच हजार की लम्बी रकम ऐठने के लिए यह दावा गलत पेश किया है। वादी हम केशूला, कमल, महेश, मदन का खास काका है इस तथ्य को दावा मे छुपाया गया है तथा यह भी छुपाया गया है कि वादी 40 साल से मय गृहस्थी गढी समेल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर मे रहता है एवं वही पर इसके व इसके लड़के के घर बने हुए है, काश्त जमीने है, राशन कार्ड बना हुआ है, वोटर लिस्ट मे नाम लिखा हुआ है। वादी को अपनी घरू आवश्यकता के लिए रूपयों की आवश्यकता थी इसलिए उसके गढी समेल के पते पर भेजा जा चुका है। पैसा नही चुका पाने की सूरत मे वादी स्वयं ने हमे कब्जा दिया है। अब यह दावा गलत तथ्यों पर सच्चाई को छुपाते हुए बदनियति से पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर वादी का कब्जा काश्त नही होने के कारण दावा

Scanned by CamScanner